


राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(5)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक: 15 जनवरी, 2024

आदेश

अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि में बन रहे मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 22.01.2024 को सूखा दिवस घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(जसवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
5. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
6. तकनीकी निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी जोन समस्त।
10. समस्त जिला आबकारी अधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव